न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2024 (राजसमन्द डिकी)

दल्ला पिता भूरा जाट, निवासी घोसुण्डी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रभारी आंगनवाड़ी केन्द, ग्राम घोसुण्डी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक
23–07–2024 प्रकरण संख्या 23/16

---/---

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक

---::---

निर्णय **दिनांक 22–07–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता भूरा जी को तहसीलदार आमेट द्वारा दिनांक 22–03–1979 को ग्राम घोसुण्डी के साबिक आराजी नंबर 530 मीन में से 4 बिस्वा भूमि अर्थात 480 वर्गगज भूमि मिसल संख्या 267 सन् 1978 से बाड़ा प्रयोजनार्थ अनाधिकृत कब्जे के पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए एक सनद दस्तावेज जारी किया गया। उक्त सनद दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि का इन्द्राज करना था, लेकिन राजस्व विभाग की गलती से भूमि बिलानाम [illegible], जबकि मौके पर कब्जा वादीगण के पूर्वाधिकारी [illegible] की मृत्यु के बाद वादीगण का चला आ रहा है। साबिक आराजी नंबर 530 के वर्तमान आराजी नंबर 836 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म [illegible] जड़ बने, जो खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रक से स्पष्ट है। वादीगण का मौके पर बाड़ा बना होकर वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी नाजायज कब्जा मानकर बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः आराजी नंबर 836 रकबा 0.0600 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि भूमि खाली होने से आंगनवाड़ी को आवंटित कर दी गयी है। वादीगण का मौके पर कब्जा नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 27—08—2013 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22—02—2016 को तनकीवार निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 23—07—2024 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि [illegible] के पिता का कब्जा था तथा उसके पश्चात् अपीलान्ट [illegible] आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] अपीलान्ट ने अपने वाद के समर्थन में सनद दिनांक 29—03—[illegible]79 की फोटो प्रति, खसरा मिलान, वर्तमान जमाबन्दी एवं रजिस्टर्ड सूचना पत्र व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दस्तावेज प्रस्तुत किये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना ही वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (18) 2011 Page 163, 2015 DNJ (SC) Page 169 प्रस्तुत की।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है, न ही उनके पूर्वाधिकारी का कभी कब्जा रहा है। मौके पर भूमि खाली होने से आंगनवाड़ी को आवंटित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। तहसीलदार आमेट द्वारा साबिक आराजी नंबर 530 मी. में से 4 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 22–03–1979 को अपीलान्ट के पिता भेरा के पक्ष में किया जाकर सनद दी गयी है तथा खसरा पत्रक अनुसार उक्त साबिक आराजी से हाल आराजी नंबर 836 रकबा 0.0600 हैक्टर बनना खसरा पत्र से स्पष्ट होता है। उक्त भूमि बाबत अपीलान्ट द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण तनकीवार निर्णय करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार मौके पर भूमि पड़त होकर आंगनवाड़ी केन्द्र को आवंटित हो चुकी है तथा आवंटी द्वारा भूमि का आवंटन पश्चात कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तथा उनका कभी कब्जा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्ट अथवा उसके पिता द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित कराने में असफल रहा है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

न्यायालय ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट ने जो न्यायिक नजीर RBJ (18) 2011 Page 163 प्रस्तुत की है, वह तनकीवार विवेचन के संबंध है। अन्य न्यायिक नजीर 2015 DNJ (SC) Page 169 धारा 96 से संबंधित है, जिनके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 23–07–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

22-7-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

दल्ला पिता भूरा जाट, नि. घोसुण्डी तहसील आमेट, जिला राजसमन्द — बनाम — राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं....**41 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**आमेट**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....23**.....माह.....**07**.....**.....2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....07.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री धनसिंह झाला**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी 23–07–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**07**.....**2025** को जारी किया गया।

22-7-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील पेश, चाहे डिग्री जारी दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:13 IST
Reason: SelfAttested